

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा (ख) विभाग

संख्या ४०५७-ख/५—१२७-४७
लखनऊ, १० अक्टूबर, १९५६ ई०

विज्ञापित

१० पो० इंडियन मेडिसिन एंड, १९३९ (१९३९ का अधिनियम संख्या १०) की धारा ४२ के अधीन राज्यपाल, उत्तर अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली अधिनियम की उपधारा (१) के उपबन्धों के अपेक्षानुसार विज्ञापित संख्या ९४०-बी० ई०/५—१२७-४७, दिनांक १८ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित की जा चुकी है।

यह नियमावली समष्टि-समय पर विज्ञापित समस्त नियमावलियों को अधिकारित करके बनायी गयी है।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन बोर्ड के चुनाव की नियमावली

प्रारम्भिक

१—इस नियमावली में, जब तक काहि वात, विषय या सन्दर्भ के परिमाणायें।
प्रतिकूल न हो—

(क) “अधिनियम” से तात्पर्य है समष्टि-समय पर संजोधित यू०
पो० इंडियन मेडिसिन एंड, १९३९।

(कक) “निर्वाचन क्षेत्र” से तात्पर्य है एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसको नियम १-क में व्यवस्था की गई है।

(ख) निर्वाचक से तात्पर्य है—

(१) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४) के अधीन निर्वाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम ३ के अधीन तैयार की गई हो ;

(२) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड ५ के अधीन निर्वाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की वनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम ३ के अधीन तैयार की गई हो ;

- (३) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन वैद्यों के स्थानों के निवाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर्ड वैद्यों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम २ के अधीन रिटार्निंग अफसर के पास भेजी गई हों, और
- (४) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन हकीमों के स्थानों के निवाचन की दशा में वह व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर्ड हकीमों की उस सूची में दर्ज हो जो नियम २ के अधीन रिटार्निंग अफसर के पास भेजी गई हों।
- (ग) "सूची" से उपर्युक्त खंड (ख) के किसी भी उपखंड के सम्बर्ध में तात्पर्य है उस उपखंड में उल्लिखित सूची।
- (घ) "रिटार्निंग अफसर" से तात्पर्य है आपूर्वोदिक एवं यतानी से ११ निवेशक और इसके अन्तर्गत उनकी अनुपस्थिति में, कोई ऐसा अधिकारी भी है, जिसे उक्त निवेशक इन नियमों के अधीन रिटार्निंग अफसर के समस्त अथवा किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत करें।
- निवाचन क्षेत्र**
- १—क— अधिनियम की धारा ५ (१), (६) के अधीन उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वैद्यों तथा हकीमों द्वारा ९ सदस्यों (कमशः ६ वैद्य तथा हकीमों) के निवाचन के अभिप्राप से यह प्रदेश निम्नलिखित निवाचन क्षेत्रों में विभाजित होगा :—
- (क) वैद्यों के लिये—
- १—मेरठ डिवीजन,
 - २—आगरा डिवीजन,
 - ३—रुहेलखंड सहित कुमाऊँ डिवीजन,
 - ४—इलाहाबाद सहित आंसी डिवीजन,
 - ५—बनारस सहित गोरखपुर डिवीजन,
 - ६—फैजाबाद सहित लखनऊ डिवीजन।
- (ख) हकीमों के लिये—
- १—मेरठ सहित आगरा डिवीजन,
 - २—रुहेलखंड सहित कुमाऊँ सहित इलाहाबाद सहित शांती,
 - ३—बनारस सहित गोरखपुर सहित फैजाबाद सहित लखनऊ।

नोट——इस नियम में डिवीजन का अर्थ रेवेन्यू डिवीजन है।

निर्वाचक सूची

२—अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन किसी निर्वाचन क्षेत्र में वैद्य अथवा हकीमों के स्थान के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियम १२ के उप-नियम (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित होने के इच्छात् यथाशीघ्र रजिस्ट्रार रिटार्निंग आफिसर को रजिस्टर की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले रजिस्टर्ड वैद्यों अथवा हकीमों को, जैसी भी स्थिति हो, आकार-पत्र १ में सूची भेज देगा और तत्काल ही रिटार्निंग आफिसर की रजिस्टर में किये गये किसी भी परिवर्तन को, जो नियम १. २ के उपनियम (२) के खंड (८) के अधीन निर्वाचित दिनांक के पूर्व तैयार की ग़ ; सूची की प्रविष्टियों ने प्रभावित करते हों, सूचना प्रेषित करेगा रिटार्निंग आफिसर इस प्रकार प्रेषित परिवर्तन की प्रविष्टि उस सूची में करेगा अथवा करवायेगा जो उसे इस नियम के अधीन प्राप्त हुई थी ।

रजिस्टर्ड वैद्यों
और रजिस्टर्ड
हकीमों की सूची ।

बोर्ड से सम्बद्ध आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सूची

३—(१) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रिटार्निंग आफिसर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधि से, जो एतत्पश्चात् निर्धारित को गई है, आकार-पत्र २ में बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की एक सूची तैयार करायेगा ।

(२) अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (५) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रिटार्निंग आफिसर उसी प्रकार आकार-पत्र २ में बोर्ड से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की भी एक सूची तैयार करायेगा ।

(३) राज्य सरकार उपनियम (१) अथवा उपनियम (२) में उल्लिखित सूची नए सिरे से तैयार कराने के निमित्त रिटार्निंग आफिसर को किसी भी समय आदेश दे सकती है ।

४—(१) नियम ३ के अधीन सूची तैयार करते समय रिटार्निंग आफिसर प्रथमतः ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, नाम संकलित करने के पश्चात् प्रत्येक संस्था की वर्णक्रमानुसार (Alphabetical order) तैयार की गई नामों की सूची का आलेख्य तैयार करवायेगा और आप-तियों की प्राप्ति के निमित्त सरकारी गजट में विज्ञापित करवायेगा । इस विज्ञप्ति में यह बतलाया जायता कि ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करे कि उचका नाम सूची में दर्ज होना चाहिये था अथवा जो सूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्ति करे, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक और समय पर अथवा उससे पूर्व रिटार्निंग आफिसर के सामने उसके कार्यालय में दावा या आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, कर सकता है ।

सूचियों के आलेख्य
का निर्माण तथा
उनकी विज्ञप्ति ।

(२) उपनियम (१) में निर्दिष्ट किया जाने वाला दिनांक उस दिनांक से, जब सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो, कम से कम ७ दिन पश्चात् का होगा ।

दावों तथा आप-
तियों से संबंधित
व्यौरे ।

(३) इस विज्ञप्ति में ऐसे दिनांक, समय और स्थान भी निर्दिष्ट होंगे जब कि नामों की प्रविष्टि के सम्बन्ध में दावों की तथा उन आपत्तियों की सुनवाई की जायगी जो केवल सूची के आलेख्य में लेख सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical errors) के ठीक किये जाने के सम्बन्ध में हों ।

५—(१) नियम ४ के अधीन कोई भी दावा लिखित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर या तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जो उस सूची में अपना नाम प्रविष्ट के बाना चाहता हो या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के तथा यदि दावा डाक द्वारा न भेजा जाय, तो उसे ऐसा व्यक्ति अथवा ऐसा अभिकर्ता सदृश प्रस्तुत करेगा। दावे में उन अहंताओं का उल्लेख अवश्य होना चाहिये, जिनके आधार पर नाम के प्रविष्ट किये जाने की प्रार्थना की गई हो ।

(२) नियम ४ के अधीन आपत्ति लिखित रूप से की जायगी तथा वह उपनियम (१) के अनुसार हस्ताक्षरित होगी और प्रस्तुत की जायगी। यदि आपत्ति सूची में किसी नाम की प्रविष्टि के बिल्ड हो तो वह दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायगी तथा उसके साथ ऐसे लिफाफे भेजे जायेंगे जिन पर पता लिखा होगा और आवश्यक मूल्य के डाक टिकट भी लगे होंगे। उन लिफाफों में आपत्तिकर्ता अथवा उसके अभिकर्ता पर तथा उस व्यक्ति पर, जिनके नाम की प्रविष्टि से आपत्ति संबंधित है, रजिस्ट्री डाक द्वारा सुनवाई की नोटिस तामील की जायगी। इस आपत्ति में अभीष्ट संशोधन का उल्लेख रहेगा तथा यदि आपत्ति सूची के आलेख्य से किसी नाम को निकलवाने के सम्बन्ध में हो तो उसमें सूची के आलेख्य में नाम के आगे दर्ज समस्त व्यौरे तथा वे कारण भी निर्दिष्ट होंगे, जिनके आधार पर नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो ।

दावों और आप-
तियों की सुन-
वाई और उनका
निर्णय ।

६—(१) नियम ३ के उपनियम (३) के उल्लिखित दावों और आपत्तियों की सुनवाई नियम ४ के अधीन विज्ञप्ति में विज्ञापित दिनांक, समय और स्थान पर ऐसे क्रम में आरम्भ की जायेगी, जिसे रिटनिंग आफिसर उचित समझे। रिटनिंग आफिसर ऐसे साथ पर जो दावे या आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया जाए, अथवा जिसे दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका एजेंट दावे या आपत्ति नी सुनवाई के समय प्रस्तुत करे, विचार करेगा। रिटनिंग आफिसर नियतप्रति तब तक दावों तथा आपत्तियों की सुनवाई करेगा जब तक समर्त दावे तथा आपत्तियाँ निस्तारित न हो जायें, किन्तु वह रखिवेक से किसी भी दावे या आपत्ति की सुनवाई स्थगित कर सकता है, जिससे दावेदार या आपत्तिकर्ता अपने दावे या आपत्ति के समर्थनार्थ साथ्य प्रस्तुत कर सके।

(२) किसी भी नाम के सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति ऐसे दिनांक, समय तथा स्थान पर सुनी जायेगी जिसे रिटनिंग आफिसर निश्चित करे तथा उसकी नोटिस आपत्तिकर्ता अथवा उसके अभिकर्ता पर तथा उस व्यक्ति पर जिसके नाम के सम्मिलित किये जाने के विरोध में आपत्तिहो, तामील की जायेगी। यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजी जायगी तथा उस व्यक्ति की दशा में जिसके नाम के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में आपत्ति हो इस नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति भी रहेगी। रिटनिंग आफिसर आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और रखिवेक से वह सुनवाई स्थगित करेगा, जिससे उभयपक्ष अथवा उनमें से कोई एक पक्ष साथ्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सक।

(३) रिटर्निंग अफसर प्रत्येक दावे या आपत्ति के सम्बन्ध में अपनी आज्ञा अभिलिखित (record) करेगा, तथा अपने द्वारा अभिलिखित निर्णयों के अनुसार सूची के अलेख्य को संशोधित और ठीक करायेगा। इस प्रकार संशोधित और ठीक को गई सूची अन्तिम होगी और सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी तथा उसको एक प्रति रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में भी एक सप्ताह तक के लिये सार्वजनिक सूचना के निमित्त लगायी जायेगी।

७—नियम ६ के उपनियम (३) के अधीन प्रकाशित निवाचिकों की अन्तिम सूची भी सूची सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनों से प्रवृत्त होगी, तथा नियम ८ के सम्बन्धों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस नियमावली के अधीन नई सूची प्रवृत्त न हो जाय।

८—(१) रिटर्निंग अफसर किसी भी समय सूची की लेख अन्तिम सूची वा (clerical) या छवाई सम्बन्धी अशुद्धियों को ठीक किये जाने की संशोधन। तथा किसी दोहरी (duplicate) प्रविष्टि के हटाये जाने की आज्ञा दे सकता है और तदुपरान्त सूची में उक्त अशुद्धियाँ ठीक कर दी जायेंगी अथवा दोहरी प्रविष्टियाँ हटा दी जायेंगी।

(२) जब नियम ७ के अधीन कोई सूची प्रवृत्त हो तब कोई भी व्यक्ति सूची में अपने नाम को बढ़ावाने के लिये दावा प्रस्तुत कर सकता है, अथवा सूची में लिखे हुये किसी नाम के सम्बन्ध में अथवा किसी नाम से सम्बद्ध किसी व्यारे के सम्बन्ध में आवश्यकता कर सकता है—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियम १२ के उपनियम (१) के अधीन निर्धारित विवादित के प्रकाशन तथा नियम १९ या ३२ के अधीन ऐसे निर्धारित के कल का घोषणा किये जाने को अवधि के बीच और जब तक ऐसे दावे या आपत्ति के साथ दो रूपये का शुल्क न हो, जो दावे या आपत्ति के प्रस्तुत करने के समय नकद दिया जावाया, रिटर्निंग अफसर सूची में किसी नाम के सम्बन्धित किये जाने के सम्बन्ध में कोई दावा अथवा उसमें किसी नाम के प्रविष्टि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति रखोकार नहीं करेगा।

(३) नियम ५ तथा ६ के उपरन्य व्यवस्थाएँ इस नियम के अधीन प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों पर प्रवृत्त होंगे—

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक दावे तथा आपत्ति के साथ दावेदार अथवा आपत्तिकर्ता या उसके अधिकारी को रजिस्ट्रो डाक द्वारा सुनवाई का नोटिस भेजने के लिये एक ऐसा लिफाफा आना चाहिये, जिस पर उस दावे लिखा हो तथा आवश्यक दस्तावेज़ के डाक टिकट लगे हों और यदि आपत्ति सूची में से कोई नाम हटवाने अथवा आपत्तिकर्ता से सम्बन्धित प्रविष्टि से भिन्न किसी प्रविष्टि को ठीक कराने के लिए की गई हो तो भी उस व्यक्ति को नोटिस देने के लिये, जिसके नाम अथवा विवरणों से आपत्ति का सम्बन्ध हो, उसी प्रकार का लिफाफा आपत्ति के साथ भेजा जाना चाहिये।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि रिटर्निंग अफसर द्वारा किसी दावे अथवा आपत्ति की सुनवाई करने के पश्चात् किसी परिवर्तन, अकरण या संशोधन (addition, omission or correction) का आदेश दिये जाने पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ सरकारी गजट में उसे बिज्ञापित किया जायगा।

सूचियों की प्रतियों
का निरोक्षण तथा
उन्हें जारी करना।

९—(१) नियम २ अथवा ३ में उल्लिखित सूचों का निरीक्षण ऐसे समय
तथा स्थान पर जिसे रिटर्निंग अफसर निर्धारित करे, किया जा सकता है।

(२) रिटर्निंग अफसर नियम २ अथवा नियम ३ में उल्लिखित
किसी भी सूची की प्रति, उतने शुल्क देने पर वे सकता है जितना वह
निश्चित कर।

स्तताधिकार।

१०—कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम सूची में तत्समय दर्ज न हो
मत देने का अधिकारों न होगा तथा उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस
अधिनियम अथवा नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था को गई हो, प्रत्येक व्यक्ति
को, जिसका नाम सूची में दर्ज हो, मत देने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१)
के खंड (३) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को चुनने के लिए कोई साधारण
निर्वाचन (General Election) करना आवश्यक हो जाय तो राज्य सरकार
सरकारी गजट में एक ऐसी विज्ञप्ति निकालेगी, जिसके द्वारा प्रत्येक उस
विश्वविद्यालय की, जिसमें चिकित्सा की आयोगेविक अथवा यनानी-तिव्यी
पद्धति हो, सम्बन्धित फैकल्टी से उस दिनांक के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट
किया गया हो, निर्वाचन करने के लिये कहा जायगा।

११—(१) जब कभी अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१)
के खंड (३) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को चुनने के लिए कोई साधारण
निर्वाचन (General Election) करना आवश्यक हो जाय तो राज्य सरकार
सरकारी गजट में एक ऐसी विज्ञप्ति निकालेगी, जिसके द्वारा प्रत्येक उस
विश्वविद्यालय की, जिसमें चिकित्सा की आयोगेविक अथवा यनानी-तिव्यी
पद्धति हो, सम्बन्धित फैकल्टी से उस दिनांक के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट
किया गया हो, निर्वाचन करने के लिये कहा जायगा।

(२) उपनियम (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति निकल जाने पर
उपनियम (१) के अधीन विज्ञप्ति में निश्चित दिनांक के पूर्व सम्बन्धित
फैकल्टी को बैठक का आयोजन। उस विधि तथा उन विधियों के अनुसार
किया जायगा, जिनका अनुपालन किसी बैठक को बुलाने तथा उसके
आयोजित करने के सम्बन्ध में उक्त फैकल्टी द्वारा साधारणतः किया
जाता है और तब फैकल्टी किसी एक व्यक्ति को एकल हस्तान्तरणीय
मत (single non-transferable vote) द्वारा बोर्ड का सदस्य निर्वाचित
करेगी। फैकल्टी उस सदस्य का नाम राज्य सरकार के पास भेजेगी।

(३) यदि बोर्ड के किसी सदस्य का स्थान उसकी मृत्यु होने, उसके
त्याग-पत्र देने, हटाये जाने, अथवा इस नियम के अधीन निर्वाचित किसी
व्यक्ति के निर्वाचन के परिवर्णन (avoidance) के कारण अकस्मात
रिक्त हो जाय, तो स्थान रिक्त होने के बाद यथावृत्ति इस नियम में उपनियम
विधि के अनुसार उपनिर्वाचन किया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसी
फैकल्टी से कहा जायगा, जिसमें भूतपूर्व सदस्य को निर्वाचित किया था रिक्त
स्थान की पूर्ति करने के लिए।

१२—(१) जब कभी बोर्ड के सदस्यों के साधारण निर्वाचन में
अथवा किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, अधिनियम को
धारा ५ के उपनियम (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन
निर्वाचन करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में एक
विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा, जिसमें सम्बन्धित निवाचिकों से अनुरोध किया
जायगा कि वे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से पूर्व सदस्य
अथवा सदस्यों का चुनाव कर लें।

अन्य चुनावों
के सम्बन्ध में
विज्ञप्ति।

प्रति
के
अथ
हो
अप
को
जो
निर्दि
निर्देश
पत्र
होंगे

उस
१२
समय
उपनिय
एक स
स्थान

(२) उपनियम (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् अधीनोन्न रिटर्निंग अफसर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा :—

- (क) नाम निर्देशन (nomination) करने का दिनांक, जो इस उपनियम के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के उपरान्त आठवें दिन से पूर्व न होगा;
- (ख) नाम निर्देशनों की जांच का दिनांक, जो नाम निर्देशन करने के दिनांक के पश्चात् तीसरे दिन के बाद का न होगा;
- (ग) उम्मीदवारी वापस लेने का अन्तिम दिनांक, जो खंड (ख) के अधीन नाम निर्देशनों की जांच के दिनांक के पश्चात् का तीसरा दिन होगा, और
- (घ) वह दिनांक, जिस तक मत देने के पश्चात् शलाका-पत्र (Ballot paper) रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाने चाहिये और जो खंड (ग) के अधीन उम्मीदवारी वापस लेने के लिए निश्चित किये गये अन्तिम दिनांक के पश्चात् १५ वें दिन से पहले न होना चाहिये, निश्चित करेगा।

(३) विज्ञप्ति में इस बात का भी उल्टेल किया जायगा कि नाम निर्देशन-पत्र (nomination paper) रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में उपनियम (२) के खंड (क) के अधीन निश्चित दिनांक को पूर्वान्ह १० बजे तथा अपरान्ह ३ बजे के बीच लिये जायेंगे और उनकी जांच उक्त उपनियम के खंड (ख) के अधीन निश्चित दिनांक को रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में पूर्वान्ह १० बजे आरम्भ की जायगी।

१३—(१) यदि कोई निर्वाचक किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अधिनियम की घारा ५ के उपनियम (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, नाम निर्देशित (nominate) होना चाहता हो, तो वह स्वयं अथवा अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अपना नाम निर्देशन-पत्र आकार पत्र ३ में पूर्णरूप से भरकर रिटर्निंग अफसर को ऐसे दिनांक को, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के भीतर दे देगा, जो नियम १२ के उपनियम (२) और (३) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हो।

नाम निर्देशन-पत्र
और उनकी
जांच।

(२) नाम निर्देशन-पत्र पर इस आशय से कि उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन से सहमत है, वह अपने हस्ताक्षर करेगा। उसी नाम निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में दो निर्वाचकों के भी हस्ताक्षर होंगे।

(३) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग अफसर तुरन्त ही उस पर प्राप्ति का दिनांक तथा समय अंकित करेगा और जो पत्र नियम १२ के उपनियम (२) के अधीन विज्ञप्ति में निश्चित किये गये दिनांक, समय तथा स्थान पर प्राप्त न होंगे, उन्हें वह तुरन्त अस्वीकार कर देगा।

(४) रिटर्निंग अफसर प्राप्त हुए ऐसे नाम निर्देशन-पत्रों को, जो उपनियम (३) के अधीन अस्वीकृत न किये गये हों, आकार-पत्र ४ में एक नोटिस तैयार करायेगा और उसे अपने कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर लगवा देगा।

जमा की गई घन-
राशि ।

१४—(१) उम्मीदवार नियमानुसार तब तक नाम निर्देशित न समझा जायगा, जब तक कि वह ५० रुपये की घनराशि जमा न करे अथवा जमा न करवा दे ।

(२) उपनियम (१) के अधीन जिस घनराशि को जमा करने की अपेक्षा की गई हो वह उस उपनियम के अधीन तब तक जमा की गई नहीं समझी जायगी, जब तक कि नियम १३ के अधीन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार ने उक्त घनराशि रिटार्निंग अफसर के पास नगद जमा न की हो अथवा जमा न कराई हो, अथवा नाम निर्देशन-पत्र के साथ मनीआर्डर को रखीद संलग्न न की हो जिससे यह पता चल सके कि उक्त घनराशि बोर्ड को देने के लिए मनीआर्डर द्वारा भेज दी गई है ।

नाम निर्देशन-
पत्रों की जांच ।

१५—(१) उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक और एक अय व्यक्ति, जिसे प्रत्येक उम्मीदवार ने लिखित रूप में प्राधिकृत किया हो, किन्तु अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं, नियम १३ के अधीन नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के लिए निश्चित दिनांक, समय तथा स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं और रिटार्निंग अफसर उन्हें सभी उम्मीदवारों के इन सभी नाम निर्देशन-पत्रों की, जिन्हें नियम १३ के अधीन अस्वीकृत न किया गया हो, जांच करते के समय सभी उचित सुविधायें देगा ।

(२) तत्पश्चात् रिटार्निंग अफसर नाम निर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम निर्देशन-पत्र के सम्बन्ध में की जायें अपना निर्णय देगा । और या तो इस प्रकार की आपत्ति किये जाने पर अथवा स्वतः सरसरी तौर पर ऐसी जांच-पड़ताल करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे किसी भी नाम निर्देशन-पत्र को, निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है :—

(क) कि इस अधिनियम के अधीन रिक्त स्थान की पूर्ति के निमित्त चुने जा सकने के लिये उम्मीदवार अहं नहीं है ।

(ख) कि इस अधिनियम के अधीन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये उम्मीदवार को अनहं ठहराया जा चुका है ।

(ग) कि नियम १३ या १४ के किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(घ) कि उम्मीदवार अथवा प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के हस्ताक्षर वात्तविक नहीं हैं अथवा छल से प्राप्त किये गये हैं ।

(३) उपनियम (२) के खंड (ग) अथवा खंड (घ) को कोई भी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जायगी यदि उम्मीदवार का नाम निर्देशन किसी दूसरे नाम विविधत कर लिया गया है ।

(४) रिटार्निंग अफसर किसी भी नाम निर्देशन-पत्र को किसी भी प्राविधिक दोष अथवा ऐसी भूल के आधार पर जो बहुत ही सारबान न हो,

अस्वीकृत
दूर कर
ठीक कि

(५)
देने के
विधु
अधीन

(६)
को रिट
कार्यवारी
कि कार
ही अन
बाधा न

(७)
जाने क
दिया ज
से आगे
अभिलि

(८)
अयथा
निर्देशन
के कार

१६
अफसर
तेप्यार
वर्गक्रम
दिये ह

(९)
पूरी हो
१७
नोटिस
हस्ताक्ष
अपरान
वार द्वा
ने एतद

(१०)
अपनी
करने व
११
अफसर
यदि व
भीतर
उम्मीद
देने क

अस्वीकृत नहीं करेगा और इस प्रकार के किसी दोष अथवा भल को दूर करने के अभिप्राय से नाम निर्देशन-पत्र में किसी भी प्रविहित को ठीक किये जाने को अनुमति दे सकता है।

(५) उपनियम (४) के अधीन कोई सुधार के करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में रिटार्निंग अफसर की आज्ञा अन्तिम होगी और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में, जिसमें अधिनियम के अधीन नियुक्त निर्वाचन न्यायाधिकरण भी हैं, आपत्ति न उठ ई जायगी।

(६) नियम १२ के अधीन इस विषय के लिए निश्चित दिनांक को रिटार्निंग अफसर नाम निर्देशन-पत्रों को जांच करेगा और उसकी कार्यवाहियों को स्थगित करने की अनुमति तब तक न देगा, जब तक कि कार्यवाहियों में दांगों अथवा खुली हिसात्सक कार्यवाहियों अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से, जिन पर उसका कोई वश न हो, एकावश अथवा बाधा न पहुंचे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति किये जाने की दशा में समझ उम्मीदवार को उसका खंडन करने का समय दिया जायगा किन्तु यह समय जांच के लिये निश्चित दिनांक से २ दिन से आगे का न होगा, और रिटार्निंग अफसर उस दिनांक को अपना निर्णय अभिलिखित करेगा, जिस दिनांक के लिये कार्यवाही स्थगित की गई हो।

(७) रिटार्निंग अफसर प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र पर उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अपना निर्णय अंकित करेगा और यदि नाम निर्देशन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाये तो वह उस पर ऐसे अस्वीकरण के कारणों को संक्षेप में लेखबद्ध कर देगा।

१६—(१) नाम निर्देशन-पत्रों की जांच करने के पश्चात् रिटार्निंग अफसर आकार-पत्र ५ में वैध नाम निर्देशनों की एक सूची हिन्दी में तैयार करेगा, जिसमें वैध रूप में नाम निर्देशित उम्मीदवारों के वर्गक्रमानुसार नाम तथा पते, जैसे कि वे नाम निर्देशन-पत्रों में लिखे हों दिये होंगे।

(२) सूची की एक प्रति रिटार्निंग अफसर के कार्यालय में जांच पूरी होने के द्वारे दिन तक लगा दी जायगी।

१७—(१) कोई उम्मीदवार आकार-पत्र ६ में लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह नियम १२ के अधीन निश्चित दिनांक को अपराह्न तीन बजे से पूर्व हो रिटार्निंग अफसर को या तो स्वयं उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे उम्मीदवार ने एतदर्थ लिखित रूप से अधिकृत कर दिया हो, दिया जायगा।

(२) किसी भी व्यक्ति को, जिसने उपनियम (१) के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का नोटिस दिया हो, उसे रद्द (cancel) करने को अनुमति नहीं दी जायगी।

१८—(१) नियम १७ के अधीन नोटिस मिलने पर रिटार्निंग अफसर उस पर प्राप्त होने के दिनांक तथा समय अंकित करेगा और यदि वह नियम १७ के उपनियम (१) के अधीन निश्चित समय के भीतर उपलब्ध हुआ हो तो वह नियम १४ में उल्लिखित प्रतिभूत उम्मीदवार को अथवा उसे जमा करने वाले व्यक्ति को वापस करने का आदेश देगा।

वैध नाम निर्देशनों की सूची।

उम्मीदवारों की वापसी।

वापसी का नोटिस।

(२) रिटार्निंग अफसर नियम १७ के अधीन उम्मीदवारी वापस लेने के नोटिस मिलने के बाद यथाशीघ्र उम्मीदवारी वापस लेने के नोटिस को शलाका-पत्र ७ में तैयार करवायेगा और इसे अपने कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर लगावायेगा और उम्मीदवारी वापस लेने वाले व्यक्ति का नाम नियम १६ के अधीन तैयार की गयी सूची में से निकाल देगा।

कुछ दंशाओं में
निर्वाचन फलों
की घोषणा।

बैध रूप से नाम-
निर्देशित व्यक्तियों
की सूची का
प्रकाशन।

शलाका-पत्रों के
जारी होने के
पूर्व मृत्यु।

रिटार्निंग अफसर
का शलाका-पत्रों
को डाक द्वारा
भेजना।

१९—(१) यदि नियम १६ के अधीन सूची तैयार करते समय अथवा नियम १८ के अधीन नाम निर्देशित उम्मीदवारों की संख्या रिक्त रानों की संख्या से अधिक नहीं है, तो वह तुरन्त ही उन सब उम्मीदों को नियमानुसार निर्वाचित घोषित कर देगा।

(२) यदि उन उम्मीदवारों की संख्या, जो उपनियम (१) के अधीन निर्वाचित घोषित किये जायें, रिक्त स्थानों की संख्या से कम पड़े तो रिटार्निंग अफसर रिक्त स्थानों की संख्या की सूचना राज्य सरकार को देगा, जो रिक्त स्थानों की संख्या की पूर्ति के लिये नये सिरे से निर्वाचित की कार्यवाही प्रारम्भ करेगी।

२०—उस स्थिति के अतिरिक्त जिसमें नियम १९ के अधीन कार्यवाही की गई हो रिटार्निंग अफसर बैध रूप से नाम निर्देशित व्यक्तियों की सूची जैसी कि वह नियम १६ के अधीन तैयार और नियम १८ के अधीन संशोधित की गई हो, सरकारी गजट में प्रकाशित करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में भी लगवायेगा।

२१—यदि किसी उम्मीदवार की, जो नियमानुसार नाम निर्देशित हो चुका हो, नाम निर्देशन-पत्र की समुचित जाँच है जाने के पश्चात् मृत्यु हो जाय और नियम २२ के अधीन शलाका-पत्र जारी होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु की सूचना रिटार्निंग अफसर को भिल जाय तो रिटार्निंग अफसर उसकी मृत्यु के समाचार के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने पर मतदान (poll) रद्द कर देगा (countermand);

और निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यवाहियाँ सभी प्रकार से नये सिरे से ऐसे आरम्भ की जायेंगी मानो वे किसी नये निर्वाचित के लिये हों:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी उम्मीदवार की दशा में जिसका नाम निर्देशन मतदान रद्द करने के समय बैध रहा हो, किसी अन्य नाम निर्देशन की आवश्यकता न होगी;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान रद्द होने के पूर्व नियम १७ के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये कोई नोटिस दिया हो, इस प्रकार मतदान समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् निर्वाचित के लिये उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित होने के निमित्त अपात्र (ineligible) न होगा।

मतदान

२२—(१) रिटार्निंग अफसर नियम २० के अधीन बैध नाम निर्देशनों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक निर्वाचिक के पास आकार-पत्र ८ में प्रवण प्रमाण-पत्र (certificate of posting) की डाक द्वारा एक शलाका-पत्र भेजेगा और इस प्रकार भेजें गये प्रत्येक शलाका-पत्र

के प्रतिपर्ण (counterfoil) में निर्वाचिक का नाम, जिसे शलाका-पत्र भेजा गया है, तथा निर्वाचिकों को सूची में दी हुई उसकी कम-संख्या अंकित करेगा। शलाका-पत्र में विवरण हिन्दी में छापे जायेंगे और उम्मीदवारों के नाम शलाका-पत्रों में उसी कम में मुद्रित होंगे, जिस कम में वे नियम २० के अधीन प्रकाशित बैंध नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची में दिये गये होंगे।

(२) शलाका-पत्रों के साथ-साथ रिटर्निंग अफसर :—

(क) आकार-पत्र ९ में एक आवरक (cover), जिस पर उसका (रिटर्निंग अफसर का) पता लिखा हो; और

(ख) एक लिफाफा जिसके ऊपर शलाका-पत्र की संख्या लिखी होगी, भी भेजेगा। रिटर्निंग अफसर आकार-पत्र ९ में आवरक के सब से नीचे बाईं तरफ के कोने पर शलाका-पत्र की संख्या लिख देगा।

(३) आवरक तथा लिफाफे के साथ-साथ शलाका-पत्र निर्वाचिकों की सूची में दिये गये निर्वाचिक के यते पर भेज दिया जायगा।

(४) इस नियम के अधीन सभी शलाका-पत्रों के जारी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अफसर उन सभी शलाका-पत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट को सील लगाकर बन्द कर देगा और ऐसे पैकेटों पर उसके भीतर रखे गये कागज-पत्रों का विवरण तथा उससे सम्बद्ध निर्वाचित का नाम लेखबद्ध करेगा।

(५) कोई भी निर्वाचित इस कारण अर्थं नहीं होगा कि किसी निर्वाचिक को उसका शलाका-पत्र नहीं मिला है। किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि शलाका-पत्र इन नियमों के अनुसार जारी किया गया हो।

२३—(१) नियम २२ के अधीन भेजा गया अपना शलाका-पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक निर्वाचिक, यदि वह निर्वाचन में मतदान करना चाहे, उस पर अपना मत अंकित करेगा। और शलाका-पत्र दिये गये अनुदेशों के अनुसार उसके पृष्ठ पर उल्लिखित घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

शलाका-पत्रों पर
मतदान और
तत्पश्चात् उनका
लौटाया जाना।

(२) निर्वाचिक शलाका-पत्र को लिफाफे में रख कर उसे बन्द कर देगा और उसे आवरक में रखेगा तथा आवरक को पूर्वोत्ति आदेशानुसार रिटर्निंग अफसर के पास डाक अयवा पत्र-बाहक द्वारा भेजेगा, जिससे वह नियम १२ के अधीन एतार्थ निर्धारित दिनांक को सायंकाल ५ बजे से पूर्व रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाय। जो आवरक उस प्रकार निश्चित दिनांक को सायंकाल ५ बजे से पूर्व प्राप्त नहीं होगा, वह अस्वीकृत कर दिया जायगा। रिटर्निंग अफसर अस्वीकृत किये गये इन सब आवरकों को एक अलग पैकेट में मुहर लगा कर रखेगा और ऐसे आवरकों की एक सूची बनाई जायगी।

२४—निर्वाचिक को शलाका-पत्र पर अपने हस्ताक्षर न कि अपना मत (vote) राज्य सरकार अयवा भारत सरकार को किसी गजटेड अफसर द्वारा प्रमाणित करा लेना चाहिये।

शलाका-पत्र पर
निर्वाचिक के
हस्ताक्षरों का
प्रमाणित किया
जाना।

माणित करने
वा ले पदाधिक-
रियोंद्वारा असम्भव
मतदाताओं को
सहायता पहुँचाना।

२५--(१) यदि कोई निर्वाचक, जिसके पास नियम २२ के अधीन शलाका-पत्र भेजा गया हो, शारीरिक असमर्थता के कारण नियम २३ के उपदंष्ट्रों के उन्नुसार मत अभिलिखित करने और शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो वह उस अधिकारी द्वारा जिसे नियम २४ के अधीन उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करने के अधिकार प्राप्त हों, अपना पत लिखा सकता है और घोषणा पर हस्ताक्षर करवा सकता है।

(२) उपर्युक्त प्रत्येक निर्वाचक, रिटार्निंग अफसर से प्राप्त लिफाफ और आदरक सहित शलाका-पत्र के, प्राणित करने वाले अधिकारी को दे देगा तथा ऐसा अधिकारी निर्वाचक की प्रारंभना पर शलाका-पत्र के पृष्ठ पर निर्वाचक के असमर्थता को माणित करेगा और इस तथ्य को भी प्रमाणित करेगा कि निर्वाचक ने मुझसे यह अनुरोध किया था कि मैं उसकी ओर से शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूं तथा शलाका-पत्र पर उसका मत अभिलिखित कर दूं उबत अधिकारी यह भी लिखेगा कि मैंने निर्वाचक के इच्छानुसार शलाका-पत्र को चिह्नित किया है तथा निर्वाचक की उपस्थिति में ही शलाका-पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और चिह्न बनाय है। तत्पश्चात् वह अधिकारी चिह्नित शलाका-पत्र को लिफाफ में रखेगा उसे बन्द करेगा और फिर उसे आवरक में रखकर तथा आवरक को मुहरवन्द करके निर्वाचक को दे देगा।

नये तथा ऐसे
शलाका-पत्रों का
दोबारा भेजा जाना
जो संबद्ध व्यक्तियों
को प्राप्त हुये हों।

२६--(१) जब नियम २२ के अधीन डाक द्वारा प्रेषित शलाका-पत्र तथा अन्य सद्दृष्ट पत्रादि किसी कारणवश संबंधित व्यक्ति को बिना प्राप्त हुये दापस लौट जाय तो रिटार्निंग अफसर निर्वाचक की प्रारंभना पर उन्हें दोबारा स्वयं निर्वाचक को हाथों-हाथ दे सकता है।

(२) उन दशाओं में जब कोई निर्वाचक शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि को भूल से इस रीति से प्रयुक्त कर ले कि उनका सुविधापूर्वक उपयोग न हो सके तो निर्वाचक द्वारा उस शलाका-पत्र तथा पत्रादि के रिटार्निंग अफसर के बापस कर दिये जाने पर तथा अपनी भूल के सम्बन्ध में उसका समाधान कर देने पर उसे दूसरा शलाका-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि दे दिये जायेंगे तथा रिटार्निंग अफसर इस प्रकार लोटाये गये पत्रादि तथा शलाका-पत्र के प्रतिपर्ण पर रद्द करने का चिन्ह देना देगा। इस प्रकार रद्द किये गये पत्रादि, शलाका-पत्र के प्रतिपर्ण को छोड़कर एक अलग ऐसे लिफाफे में रख दिये जायेंगे, जो उसी प्रयोजन के लिये होंगा।

२७--(१) निर्वाचन में जितने स्थ न भरे जायेंगे उतने ही प्रत्येक निर्वाचक के मत होंगे।

(२) ऐसा निर्वाचक अपना मतदान करने समय उन सभी उम्मीदवारों के, जिन्हें वह अपना मत देना चाहता हो, नाम के सामने दिये हुये स्थान पर \times या + चिन्ह लायेगा।

मत गणना तथा निर्वाचन फलों की घोषणा

२८--(१) नियम १२ के अधीन शलाका-पत्रों को लौटाने के लिये निश्चित दिनांक के अगले दिन रिटार्निंग अफसर के कार्यालय में मतगणना की जायगी और मतगणना पूर्वान्ह १० बजे प्रारम्भ होगी।

(२) रिटर्निंग अफसर और उसके आज्ञानसार मतगणना में सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी उम्मीदवार और प्रत्येक उम्मीदवार का एक-एक अभिकर्ता, जिसे इस सम्बन्ध में लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो, किन्तु कोई अन्य व्यक्ति नहीं, मतगणना के स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं।

२९—ऐसा शलाका-पत्र अवैध होगा, जिसमें—

(क) किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने X या + चिन्ह न बनाया गया हो;

(ख) निर्वाचन में भरे जाने वाले रिक्त स्थानों को संख्या से अधिक संख्या में उम्मीदवारों के नाम के सामने 'X' अथवा '+' का चिन्ह लगाया गया हो;

(ग) कोई ऐसा चिन्ह बना दिया गया हो जिससे निर्वाचक को बाद में पहचान की जा सके;

(घ) निर्वाचक के हस्ताक्षर नियमानुसार प्रमाणित न रखे हों; अथवा

(ङ) किसी कारण से यह निश्चित न हो सके कि किस उम्मीदवार या किन उम्मीदवारों को निर्वाचक मत देना चाहता था:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ङ) के अधीन किसी सामले में यदि चिन्ह X अथवा + को कुल संख्या भरी जाने वाली जगहों की संख्या से अधिक न हो और साथ हो साथ किसी उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये मत के बारे में अनिश्चितता भी न हो तो शलाका-पत्र पूर्णतः अवैध न होगा, और वह प्रत्येक उस उम्मीदवार के सम्बन्ध में, जिसके बारे में ऐसी अनिश्चितता न हो, वैध होगा।

३०—(१) नियम २८ में उल्लिखित दिनांक और समय तथा स्थान पर रिटर्निंग अफसर नियम १२ के अधीन शलाका-पत्रों की वापसी के लिए निश्चित दिनांक पर सायंकाल ५ बजे से पूर्व, नियम २३ के अधीन अपने द्वारा प्राप्त शलाका-पत्रों का लिफाका लोलेगा तथा उसमें से शलाका-पत्रों को निकालेगा और तत्पश्चात् लिफाके से निकाले गये शलाका-पत्रों को जांच करेगा। और उसमें से उन शलाका-पत्रों को, जिन्हें वह वैध समझता हो, ऐसे शलाका-पत्रों से अलग कर लेगा, जिन्हें वह अस्वीकार करेगा। रिटर्निंग अफसर अस्वीकृत शलाका-पत्रों पर शब्द “अस्वीकृत” पृष्ठांकित करेगा और उन कारणों को लिखेगा जिनके आधार पर शलाका-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं।

(२) तदुपरान्त रिटर्निंग अफसर प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये वे नियमों की, जैसी कि उन शलाका-पत्रों पर अभिलिखित हों, जिन्हें उसने अस्वीकार न किया हो, गणना करवायेगा।

(३) यदि नियत दिन की सायंकाल ६ बजे तक मतगणना पूरी न हो और रिटर्निंग अफसर दूसरे दिन पूर्वान्ह १० बजे तक के लिये मतगणना की कार्यालयी स्थगित कर सकता है और ऐसी दशा में निर्वाचन सम्बन्धी सभी दस्तावेजों (documents) को अपनी तथा उम्मीदवारों अथवा उनके अभिकर्ताओं की, यदि कोई उपस्थित हों और अपनी मुहरबन्द लगाना चाहें,

शलाका-पत्रों को अवैध करने के लिये आवार।

मतगणना के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

मुहर लगाकर रखेगा और आलेख को सुरक्षा के लिये उचित पूर्वापाय (precaution) भी करेगा। रिटनिंग अफसर उसी रीति से दिनप्रता प्रतिदिन कार्यवाहियों को तब तक स्वीकृत कर सकता है जब तक कि करे, मतगणना समाप्त न हो जाय।

(४) मतगणना समाप्त होने के पश्चात् रिटनिंग अफसर स्वतः अथवा किसी ऐसे उम्मीदवार की, जिसके लिये मत डाले गये हों अथवा उसके अभिकर्ता की प्रार्थना पर, मतों की पुनर्गणना करवा सकता है।

विवरण-पत्र की तैयारी।

३१—(१) गणना, अथवा यदि पुनर्गणना हो तो पुनर्गणना समाप्त करा होने पर रिटनिंग अफसर आकार-पत्र १० में एक विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित घोरे दिये होंगे :

- (क) उम्मीदवारों के नाम, जिन्हें वैध मत दिये गये थे;
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या; और
- (ग) अस्वीकृत शलाका-पत्रों की संख्या,

और प्रत्येक उम्मीदवार अथवा उसके प्रतिनिधि को विवरण-पत्र को प्रतिलिपि अथवा उसका संक्षिप्त अंश (abstract) लेने की अनुमति दे देगा।

निवाचन-फल की घोषणा।

३२—नियम ३१ में उल्लिखित विवरण-पत्र में रिटनिंग अफसर अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उन्हें समस्त उम्मीदवारों के नाम जिन्हें स्थान भरे जाने को हों, अभिलिखित करेगा और उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा तथा विविवत निर्वाचित उम्मीदवारों के रूप में उनके नामों को प्रकाशित करेगा।

बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में नियंत्रण।

३३—यदि किन्हीं उम्मीदवारों ने बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त किये हों और एक अतिरिक्त मत मिलने से कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता हो तो इस बात का निर्णय कि किसे यह अतिरिक्त मत दिया हुआ समझा जाय लाटरी डालकर किया जायगा। यह लाटरी उम्मीदवारों अथवा उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उस समय उपस्थित हों, रिटनिंग अफसर द्वारा निकाली जायगी।

रिटनाम संबंधी विज्ञप्ति।

३४—रिटनिंग अफसर राज्य सरकार को प्रत्येक १० में विवरण को एक प्रति प्रेषित करके उसे निर्वाचित का फल सूचित करेगा और राज्य सरकार निर्वाचित सदस्यों के नाम विज्ञापित करेगी।

विविध

निवाचित संबंधी कागज-पत्रों का निरीक्षण तथा उनको प्रतिलिपि।

(२) शलाका-पत्रों, चाहे वे वैध हों अथवा अस्वीकृत, के पैकेट तथा उनके प्रतिपत्रों के पैकेट नहीं खोले जायेंगे और न उन पैकेटों में रखे हुए कागज-पत्रों को किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा जाँच ही की जायगी और न उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत ही किया जायगा जब तक कि कोई सकान न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण (द्रिव्यनल) इस सम्बन्ध में आज्ञा न दे।

(३) निर्वाचन से सम्बद्ध अन्य समस्त कागज-पत्र उस शुल्क के भुगतान पर, जिसे राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, निर्दिष्ट हो, सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे।

(४) रिटार्निंग अफसर द्वारा (निमित) नियम ३४ के अधीन अप्रसारित विवरण-पत्रों की प्रतियां तथा उपनियम (१) में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी कागज-पत्रों से भिन्न किसी अन्य कागज-पत्र की प्रतियाँ उस व्यक्ति द्वारा, जिसको अभिरक्षा में वे कागज-पत्र हों, ऐसे शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध करायी जायगी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

३६—(१) यदि रिटार्निंग अफिसर किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार कर दे तो नियम १४ के अधीन निश्चित धनराशि को लौटाने के आदेश नाम निर्देशन अस्वीकार करते समय ही कर दिये जायेंगे।

निष्ठेष की वापसी
तथा जब्ती।

(२) यदि भतदान प्राप्त होने से पूर्व किसी उम्मीदवार को मृत्यु हो जाए तो नियम १४ के अधीन निश्चित धनराशि, यदि वह स्वयं उम्मीदवार द्वारा ही जमा को गई है तो उसके विधिक प्रतिनिविर्तों को अद्यवा, यदि धनराशि उसके द्वारा निश्चित नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को वापत कर दी जायगी जिसने उसे जमा किया हो।

(३) यदि निर्वाचन के लिये नाम निर्देशित कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित न हो सके और उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या दिये गये मतों की कुल संख्या के सप्तमांश से, अद्यवा प्राकाधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में दिये गये मतों की कुल संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल के छठे भाग से, अधिक न हो, तो नियम १४ के अधीन निश्चित धनराशि बोर्ड के पक्ष में जब्त हो जायगी।

(४) उपनियम (३) के प्रयोगन के नियमित दिये गये मतों की संख्या उन समस्त शालाका-पत्रों की संख्या के बराबर समझी जायगी जिनकी गणना की गई हो और अस्वीकृत (rejected) शालाका-पत्रों से भिन्न हो।

(५) पूर्वगामी उपनियम तथा नियम १८ के अन्तर्गत न जाने वाले मामलों में नियम १४ के अधीन निश्चित प्रत्येक धनराशि सरकारी गजट में निर्वाचन का फल प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उम्मीदवार को अद्यवा उस व्यक्ति को, जिसने धनराशि जमा की हो, वापस कर दी जायगी।

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन में एकाधिक निर्वाचित क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन हुआ हो तो उसके द्वारा जमा की गई अद्यवा उसकी ओर से जमा की गई एक से अधिक धनराशि उसे वापस न की जायगी तथा शेष धनराशि बोर्ड के प्रति जब्त हो जायगी।

३७—किसी सदस्य की मृत्यु, द्याग-पत्र, हटाये जाने अद्यवा किसी अन्य कारणबश बोर्ड के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर यथाशक्य शीघ्र रजिस्ट्रार राज्य सरकार को रिक्त स्थान को सूचता देगा:

आकस्मिक रिक्तियों
की सूची।

किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि यदि बोर्ड ने अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन यह आदेश दिया हो कि रिक्त स्थान की

पूर्ति न की जाय तो रजिस्ट्रार उस संकल्प (resolution) की भी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा, जिसके अनुसार उबत आदेश दिया गया है।

आकस्मिक रिवित-
पूर्ति को अवधि।

३८—वह अवधि, जिसके भीतर अधिनियम की धारा १३ के अधीन किसी रिवित की पूर्ति की जायगी, रिवित होने के दिनांक से तीन महीने तक की होगी:

किन्तु प्रतिवर्त्त यह है कि पर्याप्त कारण होने पर राज्य सरकार उबत अवधि को अधिकाधिक ५ महीने तक बढ़ाने की आज्ञा दे सकती है।

दिनांक, जिस तक निर्वाचन पूरा किया जायगा।

३९—यदि कोई निर्वाचक निकाय (electoral body) नियम १२ के उपनियम (१) के अधीन निर्वाचन दिनांक या ऐसे दिनांक में नियम ४० के अधीन परिवर्तन किया गया हो तो परिवर्तित दिनांक तक किसी रिवित की पूर्ति के लिये अपेक्षित संख्या में सदस्य अथवा सदस्यों का निर्वाचन न करे अथवा रिवित की पूर्ति न करे, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा ६ के अधीन सदस्य अथवा सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी।

आपात की स्थिति
में दिनांकों में परिवर्तन करना।

४०—(१) नियम ३८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार किसी गम्भीर आपत्ति की स्थिति में अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियम १२ के उपनियम (१) के अधीन विज्ञापित दिनांक को बढ़ा सकती है।

(२) नियम १२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये रिटर्निंग अफसर किसी गम्भीर आपत्ति की परिस्थिति में अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियम १२ के उपनियम (२) के अधीन विज्ञापित दिनांकों में परिवर्तन कर सकता है।

(३) मूलतः वितापित दिनांकों के व्यतीत होने के पश्चात् भी उपर्युक्त रूप से दिनांकों को बढ़ाया तथा उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

वे स्थान, जिनकी पूर्ति होने से रह गयी हो।

४१—(१) यदि किसी निर्वाचन में, जो अधिनियम की धारा ५, उपधा ११ (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन हुआ हो, नाम निर्देशन न है तो के कारण अथवा निर्देशन की अस्वीकृति (rejection) के कारण किसी स्थान की पूर्ति होने से रह गई हो तो रिटर्निंग अफसर तुरन्त ही इस बात की सूचना राज्य सरकार को देगा।

(२) उपनियम (१) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार नियम ३८ के उपबन्धों के अधीन उसी तरह से नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ कर सकती है मानो नया चुनाव हो।

**रिटर्निंग अफसर
का सूचना-प्राप्ति
अधिकार।**

४१-क—रिटर्निंग अफसर इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्य पालन करने के लिये बोर्ड के अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार को ऐसी सूचना अथवा लेख (documents), जिसे वह आवश्यक समझे और जो अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार के पास हों, देने की कह सकता है और अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार, जो भी सम्बन्धित हों, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा।

निर्वाचन संबंधी विवाद

**निर्वाचन के सम्बन्ध
में आपत्ति।**

४२—अधिनियम की धारा ५ के अधीन उपधारा (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में कोई आपत्ति न की जाय। सिवाय उस दशा में जबकि इन नियमों के अनुसार कोई निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत की जाय।

४३--(१) कोई भी असहल उम्मीदवार या वह उम्मीदवार, जिसका नाम निर्देशन-पत्र अधिकारी कर दिया गया हो अथवा कोई भी निर्वाचिक निर्वाचनफल के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के बाद ३० दिन के भीतर नियम ४२ के अधीन निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

याचिका प्रस्तुत करने की अधिकारीता रीति।

(२) याचिका या तो याचिकादाता स्वयं अथवा यदि याचिकादाता एक से अधिक हों तो उनमें से कोई एक या एकाधिक प्रस्तुत करेंगे।

(३) याचिका लखनऊ के जिला जज को प्रस्तुत कर जायगी।

४४—निर्वाचन याचिका में वह या वे कारण दिये गये होंगे जिनके आधार पर निर्वाचित (returned) उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई है और उसमें संभेष में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख होगा जिनके आधार पर निर्वाचन के संबंध में आपत्ति करना उचित बतलाया गया है। याचिका में उन घटितियों का भी विवरण होगा जो निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों और यदि याचिका में यह दावा किया गया हो कि उस घटित के स्थान पर, जिसके निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई है, कोई अन्य घटित निर्वाचित घोषित किया जायगा तो याचिका में प्रत्येक असहल उम्मीदवार को प्रतिवादी (respondent) बनाया जायगा।

याचिका का अधिकार-पत्र इत्यादि।

४५—याचिकादाता निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी एक के लिये दावा कर सकता है :—

परितेष्ठा, जिसके लिये याचिका में दावा किया जा सकता है।

(क) निर्वाचित (returned) उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है,

प्रतिभूति तथा न्याय-शुल्क।

(ब) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और या तो वह स्वयं अथवा कोई अन्य उम्मीदवार नियमानुसार

(d) निर्वाचित किया गया है।

४६—(१) निर्वाचन-याचिका को प्रस्तुत करते समय याचिका-दाता उसके साथ एक ऐसी रसीद भी नहीं कर देगा, जिसमें यह दिया गया हो कि याचिका घट के लिए उसके द्वारा अन्य उसकी ओर से सरकारी खजाने में अथवा भारत के राजकीय बैंक (State Bank of India) में प्रतिभूति (security) के रूप में २०० रुपये की राशि जमा कर दी गई है।

किसी निर्वाचन के संबंध में शार्धवाही करने के आधार।

(२) निर्वाचन-याचिका पर अदालतों टिकटों के रूप में एक सी बप्तमें कोस अदा को जायगी।

४७—अधिनियम की धारा ५ को उपधारा (१) के खंड (४), (५) अथवा (६) के अधीन बोड़ के सदस्य के रूप में किसी घटित के निर्वाचन के विवरण निम्नलिखित में से किसी एक अवधार आधारों पर आपत्ति को जा सकती है, अवधार-

(क) निर्वाचित (returned) उम्मीदवार ने नियम ४८ के अवधार में किसी भ्रष्टाचारण का घटवहार किया है,

(ख) किसी भी उम्मीदवार का नाम निर्देशन-पत्र गलती में अस्वीकृत किया गया है अथवा किसी सफल उम्मीदवार का नाम निर्देशन-पत्र गलती से अस्वीकृत किया गया है;

(ग) निर्वाचित तथ्यों के कारण निर्वाचित छल पर सारबा प्रभाव पड़ा है—

(१) किसी गत (बोट) को अनुचित ढंग से अस्वीकार अवश्य लेने से इन्कार किया गया है,

(२) अधिनियम के उपदब्दों का अवश्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(घ) सफल उम्मीदवार को एक या अधिक मर्तों को अनुचित रूप से स्वीकार अस्वीकार करने के काल स्वरूप निर्वाचित घोषित किया गया है।

४८—यदि कोई अद्वित, प्रत्यक्ष अवश्य अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अवश्य किसी अन्य घोषित द्वारा—

(१) किसी मतदाता का कपट से जानबूझकर गलत बताकर, द्वाव डालकर या चोट पहुँचाने की धमकी देकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अवश्य न देने के लिये प्रेरित करे अथवा प्रेरित करने का प्रयास करे।

(२) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अवश्य न देने के लिये प्रेरित करने की दृष्टि से कोई धन या मूल्यवान प्रतिकल (valuable consideration) या कोई स्थान अवश्य नौकरी दे या देने को कहे अवश्य किसी व्यवेत को उसका निजी साम या फायदा करा देने के लिये कहे कोई बदन दें।

(३) किसी ऐसे घोषित के नाम से, जो वारतव में मत देने वाला घोषित नहीं, मत दे या उसको और से दिलवाये तो यह समझा जायगा कि उसने अद्वाचरण का अद्वयार किया है।

४९—(१) यदि किसी निर्वाचन-याचिका में इस आशय की विसी घोषणा का द्वय किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवारों से भिन्न कोई उम्मीदवार नियमानुसार चुना गया है तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात का सिद्ध करने का साध्य देस्कताहूँ कि यदि वह उम्मीदवार निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन पर अवति करने के लिये याचिका प्रतुत की गई होती तो उसका नियंत्रण शून्यहो जाता।

५०—ग्रामाधिकरण जिसमें लखनऊ का जिला जज, अंद्रा ऐसा कोई अन्य जिला जज होगा, जिसे उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार नाम निर्दिशित करे, ऐसे स्वाम पर्याचिका का परीक्षण करेगा (scrutinize) जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

५१—(१) जिस सीमा तक इस अधिनियम में अवश्य इस जाता में अन्यत्र इवरस्था की गई है उत छाइचर व्यवहार दादों (units) के सम्बन्ध में विविध प्रोसीजर कोड में उपबन्धित प्रक्रिया का, जहां तक कि वह अधिनियम अवश्य इस आज्ञा के किन्हीं उपदब्दों से असंगत न हो और जहां तक वह समू

किसी रूप की प्राप्ति के दावे पर प्रत्यारोपण।

याचिका का परीक्षण।

न्यायाधिकरण में कार्य-विधि।

किया जा सके, निर्वाचन-याचिका की सुनवाई के सम्बन्ध में अनुसरण किया जायेगा:

किस्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

- (क) यदि किसी दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं का संबंध एक ही व्यक्ति से हो, तो उसकी सुनवाई एक साथ को जा सकती है;
 - (ख) न्यायाधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं दोगा कि वह नवाई के बायान द्वारा तरह लिखे अथवा लिखाये, किस्तु वह ग्राहितों के बायान का एक ऐसा जावह (memorandum) तैयार करेगा जो उसको राय में मृकदमे में निर्णय देने के लिए पर्याप्त हो;
 - (ग) न्यायाधिकरण कर्मदारी के किसी भी चरण में याचिकादाता को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्ययों (costs) का, जो किसी प्रतिवादी (respondent) द्वारा किये गये हों अथवा जिनके किये जाने की संभवता हो, भुगतान करने के लिए और अधिक नकद जगत द;
 - (घ) किसी विवाय पर निर्णय देने के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण से यह अनेकों को जायगा कि वह केवल उसना ही साध्य, चाहे वह मीलिक हो अथवा लिखित रूप से, प्रस्तुत करने का आज्ञा दे अथवा प्रहण करे, जितना इह जापायक तमसे;
 - (ङ) तथ्य अथवा विवि के प्रत्यन पर न्यायाधिकरण के निर्णय के विषद् कई अर्थों अथवा पुनरकाण (revision) न होगा;
 - (च) यदि कोई व्यक्ति यह समझा हो कि न्यायाधिकरण के निर्णय से वह क्षुद्र है तो निर्णय के दिनांक से १५ दिन के भीतर उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर न्यायाधिकरण इसी विषय पर अपने निर्णय का पुनर्विलोक्यन (review) कर सकता है।
- (२) निर्वाचन याचिका के परीक्षण के सम्बन्ध में इंडियन एक्टिंग्स एक्ट, १८७२ के उपरन्थ तभी प्रशार से लागू समझे जायेंगे।

५२—(१) निर्वाचन याचिका के परीक्षण के लिए किसी न्यायाधिकरण के नियुक्त करने के पूर्व याचिकादाता अथवा याचिकादाताओं द्वारा, बंसी भी स्थिति हो, जिला जज, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र देकर वह बापत लो जा सकती है। प्रार्थना-पत्र में याचिका बापस लेने के अनिश्चय का डल्लेल किया जायगा। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर याचिका बापस लो दुई समझी जायगी और उसके परीक्षण के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(२) निर्वाचन याचिका के परीक्षणार्थ न्यायाधिकरण के नियुक्त के पश्चात् याचिका न्यायाधिकरण को अनुश्रूति दे उपर्युक्त प्रशार से प्रार्थना-पत्र देकर बापत लो जा सकती है।

याचिका की बासी ।

पारिचाकाओं को समाप्ति।

५३—(१) कोई निवाचित याचिका, जिसमें नियम ४५ के संड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया है, निवाचित (returned) दामोदार की मृत्यु हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(२) मृत्यु याचिकादाता अवधा सभी पारिचाकादाताओं को मृत्यु हो जाने पर निवाचित याचिका समाप्त हो जाएगी।

(३) यदि निवाचित याचिका के नियम ४५ के संड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निवाचित दामोदार की मृत्यु हो गई हो तो न्यायाधिकरण उस प्राप्ति की सूचना सरकारी गजट में उकाइत करवायेगा। और तत्पश्चात इस पर कोई भी व्यवित, जो याचिकादाता रहा हो, प्रकाशन के १४ दिन के भीतर याचिका दा दिरंय करके निवाचित दामोदार का स्वतः प्रहृण करने के लिये प्राप्ति-पत्र दे सकता है और ऐसे नियमितों (terms) पर काम्पविहियां जारी रख सकता है, जिन्हें न्यायाधिकरण दर्शित करेंगे।

न्यायाधिकरण के धर्मिकार।

५४—(१) न्यायाधिकरण की शक्तियाँ (powers) तथा विदेश-धर्मिकार वही हैं जो दिवानी न्यायालय के जज के हृते हैं और यह नोटिस तामोड़ करने अवधा किसी आदेदिका (process) को जारी करने और इसी प्रकार या उन्न दोहरे वायर करने के लिये जिला नेटवर्कट की सहमति से किसी चरमामी या अस्य जाफिस्तर या बहक का, जो जिला मेंजिस्ट्रेट के न्यायालय से उत्पन्न है, उन्ने पास रख सकता है।

(२) यदि यह पता चले कि याचिका तुच्छ (frivolous) है तो न्यायाधिकरण यह अदेश दे सकता है कि राज्य सरकार प्रतिभूत (security) को अवधा उसके किसी अंग को उठात कर देगी।

(३) निवाचित न्यायाधिकरण द्वारा दो गई धय (costs) देने के अन्ना का निपादन किसी भी मुक्तिक द्वारा, जिसके धर्मिकार-क्षेत्र में वह व्यवित, जिसको धय देने की आवश्यकता है, रहता है या काम करके लाभ उठाता है, उसी प्रकार किया जायगा उसी द्वारा अत व्यवित के पक्ष में, जिसे धय दिलाये गये हैं, उदत्त मुक्तिक द्वारा जारी की गई कोई डिग्री हो।

न्यायाधिकरण की आवाय।

५५—(१) यदि न्यायाधिकरण को ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, किसी ऐसे व्यवित के बारे में, जिसके निवाचित के विहृत याचिका देकर आपत्ति की गई हो, यह पता चले कि उसका चुनाव अवध है तो वह उस व्यवित के विहृत द्वारा गई याचिका को सारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार धय दिलायेगा।

(२) यदि न्यायाधिकरण को यह पता चले कि किसी व्यवित का चुनाव अवध है वह या तो यह धय पता चले कि—

(क) कोई आकस्मिक रितता (casual vacancy) हो गई है, अवधा

(ख) कोई दूसरा उम्मोदवार नियमानुसार निवाचित हुआ है और दोनों ही दशाओं में स्वविवेकानुसार धय दिलायेगा।

५६—यदि निर्वाचन प्राचिका देरे बाला कोई घटित, जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बन्ध में वापसी करने के अतिरिक्त इस बात को घोषणा की जी बाबा किया हु कि वह रखने या अग्र प्रोड्यूसर उम्मीदवार यथावत् निर्वाचित हुआ है और न्यायाधिकरण का यह नत हो कि बास्तव में प्राचिकादाता या उस अग्र उम्मीदवार को ये गतों का बहुमत प्राप्त हुआ । तो न्यायाधिकरण निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य (void) घोषित करने के पश्चात् प्रार्थी या उस अग्र उम्मीदवार को, जिसी भी स्थिति हो, यथावत् निर्वाचित घोषित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राचिकादाता या ऐसा अग्र उम्मीदवार यथावत् निर्वाचित घोषित नहीं किया जायता यदि वह सिंह हो जाय कि यदि वह निर्वाचित हो गया होगा और उसके निर्वाचन के संबन्ध में प्राचिका प्रस्तुत की गई होगी तो उसका निर्वाचन शून्य हो जाता ।

५७—यदि इसी निर्वाचन प्राचिका के परीक्षण के दौरान में यह प्रतीत हो कि निर्वाचित में किसी उम्मीदवारों को वरदान-प्रदाता भव प्राप्त हुए हैं और यदि उनमें से किसी को भी एक भत बड़ा किया जाय तो वह निर्वाचित घोषित हो जायगा तो—

(क) इन नियमों के उपर्यादी के अधीन रिटार्न अहमर द्वारा किया गया कोई विषय, जहाँ तक वह उस प्रकार को उन उम्मीदवारों के भव प्राप्त करता हो, प्राचिका के प्रयोगनों के द्वारा भी प्रभावी होगा, और

(ल) यदि वह प्रश्न उठत तिर्णि ति निर्वाचित न होता हो तो न्यायाधिकरण लाठरे डाल कर उसका तिर्णि करेगा और ऐसो कायंभावी करेगा यहाँ जिस उम्मीदवार के एक में लाठरो तिकलो है उसने एक अतिरिक्त गत प्राप्त किया है ।

५८—नियम ५५ के उपनियम (२) के अधीन न्यायाधिकरण को आज्ञा न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रभावी होना । उसके दिये जाने के दिनांक के अन्ते दिन से प्रभावी होगी ।

५९—(१) न्यायाधिकरण नियम ५५ के अधीन दी गई आज्ञा घोषित करने के पश्चात् न्यायाधिकरण उसकी एक प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास भेज देगा । आज्ञा को सदन देना और अभिलेख देने वाला अधिकार निर्दिष्ट करेगा ।

(२) न्यायाधिकरण मानवे के अभिलेख को ऐसे रूप से निराकरित करेगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

(३) राज्य सरकार अभिलेख के लेखों (documents) को अतिलिपियाँ शूल देने पर देने की व्यवस्था करेगी ।

६०—(१) नियम ५४ के उपनियम (२) के उपर्यादी के अधीन रहते हुये अधिकारण द्वारा किसी प्रतिवादी को दिये जाने वाला अग्र, यदि कोई हो, नियम ४६ और ५१ के अधीन प्रतिभूति लिखें (security deposits) से बहुत किया जा सके, और प्रतिभूति निषेप का शेष (balance), यदि कोई हो, प्रार्थी को घापस कर दिया जायगा ।

वे आधार, जिन के कारण उफल उम्मीदवार के भिन्न इसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है ।

मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया ।

प्रतिभूति निषेप का निर्तारण (disposed) अर अग्र को बहुतो ।

(२) वह बयां या उस तो कोई भाग जो किसी प्रतिवादी को दिलाया गया है किन्तु उपनियम (१) में उल्लिखित प्रतिभूति निष्क्रेप से बसूल न किया गया हो और व्याप्ति जो किसी प्रतिवादी द्वारा किसी धार्मिकादाता को देय हो, नियम ५४ के उपबन्धों के अनुसार बसूल किया जा सकेगा।

(३) नियम ५५ के अधीन आज्ञा देते समय धार्मिक एवं इस नियम के उपबन्धों के अनुसार व्याप्तियों को दसूनी और प्रतिभूति निष्क्रेप की वास्तो के संबंध में भी आज्ञा देगा।

आकार-पत्र १

उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वेब्यू/हकीमों को सूची

.....निर्वाचन ऑफिस

(नियम २)

क्रम-संख्या	नाम	पिता का नाम	पति का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या	पता

आकार-पत्र का प्रविधियों में इस प्राकार संशोधन किया जा सकता है जिससे ये रजिस्टर की प्रविधियों के समान हो जाय।

आकार-पत्र २

उत्तर प्रदेश की सम्बद्ध आदर्शेविक धूनानी* निकास संस्थाओं के अध्यापकों को सूची
(नियम ३)

क्रम-संख्या	नाम	पिता का नाम	पति का नाम	क्रम संख्या, जिसमें काम कर रहा/रहो हो	पता

आकार-पत्र ३

नियम-निर्देशन-पत्र

[नियम १३ (१)]

यू० पी० इंडियन मेडिसिन एक्ट, १९३३ का धारा ५ को (१) के खंड (४)
(५), (६) के अधीन निर्वाचन

निवाचि-ऑफिस का नाम—

१—उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में)—————

२—पिता/पति का नाम—————

३—पता—————

४—आकार-पत्र १/२* की निवाचिक सूची में उम्मीदवार को क्रम-संख्या—————

५—रजिस्ट्रेशन संख्या—————

६—प्रस्तावक का नाम—————

७—आकार-पत्र १/२* की सूची में प्रत्तावक की क्रम-संख्या—————

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

८—प्रस्तावक के हस्ताक्षर

९—अनुमोदक का नाम

१०—आकार-पत्र १/२* की सूची में अनुमोदक की क्रम-संख्या

११—अनुमोदक के हस्ताक्षर

में एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

दिनांक

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(रिटार्निंग अफसर के भरने के लिये)

क्रम-संख्या

नाम-निर्देशन-पत्र की प्राप्ति का दिनांक तथा समय

रिटार्निंग बक्सर

आकार-पत्र ४

[नियम १३ (४)]

यू० पी० इंडियन मेडिसिन एक्ट, १९३९ की धारा (५) की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्धारित के लिये निर्देशनों की नोटिस समय से प्राप्त हुई

निर्धारण-क्षेत्र का नाम

क्रम-संख्या

उम्मीदवार का नम

सिताया पति का नाम

रजिस्ट्रेशन संख्या

पता

प्रस्तावक का नाम

आकार-पत्र १/२* की सूची में प्रस्तावक की क्रम-संख्या

अनुमोदक का नाम

आकार-पत्र १/२* की सूची में अनुमोदक की क्रम-संख्या

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

केवल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन निर्धारित को दशा में।

आकार-पत्र ५

(नियम १६)

यैथ नाम-निर्देशनों की सूची का आकार-पत्र

यू० पी० इंडियन मेडिसिन एक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्धारित

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों की अन्तिम सूची
निर्वाचन-क्षेत्र का न.म-

क्रम-संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता
१	२	३
२		
३		
४		
५		
६		
इत्यादि		

रिटार्निंग आफिसर

आकार-पत्र ६
(नियर-१७)

उम्मीदवारी को वापरी को नोटिस का आकार-पत्र

सेवा में,
रिटार्निंग आफिसर,

[यू० पी० इंडियन मेडिसिन एक्ट, १९३९ को धारा ५ की उपधारा १ के खंड
(४, ५, ६)* के अधीन निर्वाचन]

उपर्युक्त निर्वाचन के नाम निर्देशित उम्मीदवार में
एतद्वारा नोटिस देता हूँ नि में अपनी उम्मीदवारी

वापस लेता हूँ।
दिनांक—

१९३९ ई०

निर्वाचन क्षेत्र †
निवासी—

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दर्जिये।

† केवल अधिनियम की धारा २ के उपनियम (१) के खंड ६ के अधीन निर्वाचन
को दशा में।

(कार्यालय में भरने के लिए)

उम्मीदवार को वापिसी को/का यह नोटिस—
उम्मीदवार के प्रस्तावक, अनुबोदक, अभिकर्ता (ऐजेन्ट), जिसे उम्मीदवार ने नोटिस देने के
लिए अधिकृत किया है, द्वारा मूरे/मेरे कार्यालय में दिनांक—
बजे दी गयी है।

रिटार्निंग आफिसर

भूमिस्थेंड रिटार्निंग आफिसर

आकार-पत्र ७

(नियम १८)

उम्मीदवारों की वापिसी को नोटिस

य० प० १० इंडियन मेडिसिन एवेट, १९३२ की घारा ५ को उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्बाचन के लिए उम्मीदवारी को वापिसी को नोटिस निम्नलिखित उम्मीदवार से/निम्नलिखित उम्मीदवारों में से प्रत्येक से दिनांक—
को मिलो ।

निर्बाचन क्षेत्र †

उम्मीदवार/उम्मीदवारों के नाम—

१—

२—

३—

इत्यादि

दिनांक—

टिटनिंग आफ्रिसर

आकार-पत्र ८

(नियम २२)

शलाका-पत्र का आकार-पत्र

बाह्यपर्ण आमूल (Outerfoil front)

प्रतिपर्ण (Counterfoil)

य० प० १० मेडिसिन एवेट, १९३१ की घारा ५ को उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्बाचन

य० प० १० इंडियन मेडिसिन एवेट, १९३१ की घारा ५ की उपधारा (१) के खंड (४), (५), (६)* के अधीन निर्बाचन ।

निर्बाचन क्षेत्र ‡
निर्बाचक का नाम

निर्बाचन क्षेत्र ‡

उम्मीदवार का नाम
चिन्ह के लिए स्वाक्षर

शलाका-पत्र की क्रम संख्या—

१—

२—

३—

इत्यादि

निर्बाचकों की सूची में निर्बाचक की क्रम-संख्या

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

†केवल अधिनियम की घारा २ के उपनियम (१) के खंड (६) के अधीन नीदशा में ।

अधिनियम की घारा ५ को उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन निर्बाचक

शलाका-पत्र के बाह्यपर्ण के पृष्ठ का आकार-पत्र

अनुदेश

१—इसके साथ प्रेवित शलाका-पत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम दिये हुये हैं, वे य०
पी० इटियन ऐडिटिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ का उपधारा (१) के खण्ड (४), (५),
(६)* के अधीन निर्वाचन के लिये उम्मीदवार नाम निर्देशित किये गये हैं।

२—निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या..... है।

३—निर्वाचिक जिस उम्मीदवार अवधा जिन उम्मीदवारों को मत (वोट) देना चाहता है उस/उन के नाम के सामने शलाका-पत्र पर+अवधाX का चिन्ह लगाकर अपना मत अनिलिखित बढ़े।

४—निर्वाचिक प्रमाणकर्ता अधिकारी (Attesting Officer), जो राज्य अवधा संघ सरकार का गजटेड अधिकारी होगा, को उपस्थिति में शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। यह अधिकारी निर्वाचिक के हस्ताक्षर को ही प्रमाणित करेगा न कि उसके मत को, जो उस प्रमाण-कर्ता अधिकारी की उपस्थिति में अनिलिखित नहीं होना चाहिये।

५—प्रभाग किये जा चुकने तथा चिन्ह लगाये जा चुकने के पश्चात् शलाका-पत्र उसके साथ प्रेवित लिफाफे में रखना चाहिये और फिर उस लिफाफे को ऐसे आवरक (Cover) में ढाक कर देना चाहिये जिस पर रिटिनिंग आफिसर का पता लिखा हो। निर्वाचिक को चाहिये कि वह उस आवरक को ऐसी डाक द्वारा जिसके लिये पहले से ही डाक-घर्षण अदा कर दिया गया हो (Prepaid Post) या किसी संदेश वाहक द्वारा रिटिनिंग आफिसर के पास आपस में भेज दे, जिससे कि वह इसके पास दिनांक..... १९६ ई० को सार्वकाल ५ दिनों के पूर्व पहुंच जाय।

६—निर्वाचित नियमों के उपबन्धों पर भी ध्यान देना चाहिये :—

२५—प्रमाणित करने वाले प्रदायिकारियों द्वारा अशावत मतदाताओं को सहायता पहुंचाना—

(१) यदि कोई निर्वाचिक, जिसके पास नियम २२ के अधीन शलाका-पत्र भेजा गया हो, और शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो वह उस अधिकारी द्वारा, जिसे नियम २४ के अधीन उसके हस्ताक्षर, प्रमाणित करने के अधिकार प्राप्त हो, अपना मत लिखवा सकता है और घोषणा पर हस्ताक्षर करवा सकता है।

(२) उपर्युक्त प्रत्येक निर्वाचिक, रिटिनिंग आफिसर से प्राप्त लिफाफे और आवरक सहित शलाका-पत्र को, प्रमाणित करने वाले अधिकारी को दे देता, तथा ऐसा अधिकारी निर्वाचिक को प्राप्तनाम-पत्र पर शलाका-पत्र के पृष्ठ पर निर्वाचिक को असमर्थता को प्रमाणित करेगा और इस तथ्य को भी प्रमाणित करेगा कि निर्वाचिक ने मुझसे यह अनुरोध किया था कि मैं उसकी ओर से शलाका-पत्र के पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूँ तथा शलाका-पत्र पर उसका मत अनिलिखित कर दूँ। उक्त अधिकारी यह भी लिखेगा कि मैंने निर्वाचिक के इच्छानुसार शलाका-पत्र को चिन्हित किया हूँ तथा निर्वाचिक को उपस्थिति में ही शलाका-पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और चिन्ह बनाया है। तत्प्रदाता वह अधिकारी चिन्हित शलाका-पत्र को लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा, और उसे आवरक में रखकर तथा आवरक को भुहरवन्द करके निर्वाचिक को दे देगा।

२६—नए तथा ऐसे शलाका-पत्रों का दुबारा भेजा जाना, जो सम्बद्ध व्यक्ति को प्राप्त न

(१) जब नियम २३ के अधीन डाक द्वारा प्रेवित शलाका-पत्र तथा किसी कारण बस सम्बन्धित व्यक्ति को बिना प्राप्त हुए वापस लौट आए तो रिटिनिंग को प्राप्तना पर उन्हें रनिस्ट्री डाक द्वारा भेज सकता है अवधा नियम हाथ सकता है।

(२) उन दस्तावें में जब बोहुं निर्वाचक शालाका—पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि को भूल से इस रीति से प्रयुक्त कर ले कि उनका सुविधापूर्वक उपयोग न हो सके तो निर्वाचक द्वारा उस शालाका—पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि को रिटर्निंग अफिसर को वापस कर दिए जाने पर तथा उपनी भूल के सहबन्ध में उसका समाप्तान कर देने पर उसे दूसरा शालाका—पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि द्वे दिए जायेंगे तथा रिटर्निंग अफिसर इस प्रकार लौटाये गये पत्रादि तथा शालाका—पत्र के प्रतिपर्ण पर रद्द करने का चिह्न बना देगा। इस प्रकार रद्द किये गई पत्रादि, शालाका—पत्र के प्रतिपर्ण को छोड़कर, एक ललप ऐसे लिफाफा में रख दिए जायेंगे, जो उसी अप्रोजन के लिए होगा।

७.—रिटर्निंग अफिसर द्वाक द्वारा भेजे गए ऐसे आवरकों (Covers) को नहीं लेगा, जिन पर दाक वर्षय बढ़ान किया गया हो।

शालाका पत्र की घम—संख्या मेरे एतद्वारा घोषित होता है कि मैं यही व्यक्ति हूँ, जिसका नाम उत्तर प्रदेश की सम्बद्ध भायर्वेंडिक/यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वैद्यों/हकीमों की सूची की घम—संख्या पर निर्वाचक के इप मेरि लिखा हुआ है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता

— मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं।
मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अपना ————— ने उनकी इस प्रकार पहचान करदी है (identified) कि उससे मेरा समाप्तान हो गया है।

नाम _____

पता _____

प्रभाषकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम _____

पता _____

दिनांक _____

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

†रेवल अधिनियम की पारा ५ को उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन निर्वाचन की दशा में।

आकार—पत्र ९

(नियम २२)

आवरण का आकार—पत्र

निर्वाचन—भावदृष्टक

मे,

रिटर्निंग अफिसर,

२० पाँ० मेडिसिन, एक्ट १९२९ की पारा ५ को उपधारा (१) के खंड (४), (५),
अधीन निर्वाचन।

संख्या _____

पता _____

आकार-पत्र १०

(नियम ३१)

शलाका-पत्रों के लेख का आकार-पत्र

य० पी० इंडिपन मेडिसिन एकट, १९३९ की धारा ५ की उपचारा (१) के खंड
 (४), (५), (६)* के अधीन निवाचित —————— १९३ ई०
 —————— निवाचित थे त्रु ।

क्रम-संख्या	उम्मीदवार का नाम	दिये गये सत्रों की संख्या
—————	—————	—————
—————	—————	—————
—————	—————	—————

शलाका-पत्रों की कुल संख्या ——————

अस्वीकृत शलाका-पत्रों की कुल संख्या ——————

निम्नलिखित उम्मीदवार निवाचित हों त किये जाते हैं—

(१)

(२)

(३)

दिनांक

रिटार्निंग भार्डिसर के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिये ।

† नेवल अधिनियम की धारा ५ की उपचारा (१) के खंड (६) के अधीन निवाचित की जाती है ।

आवाज दे,
 कौलाला चन्द्र मित्र,
 संबेद ।

पी० एस० य० पी०—८ डी० एस० एच० एस०—१९६६—१००—१